फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ......Gambler...... बनाम ......[illegible]......

मुकदमा संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा– .....60../2022

15/9/2022 दिनांक 26.07.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका सार निम्न प्रकार है:-

राजस्व ग्राम सरना डूंगर, पटवार हल्का सरना डूंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र मांचवा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर में स्थित आराजी नया खाता संख्या 30 तथा पुराना खाता संख्या 28 की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 (वर्ष 2019 से स्थायी) में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 0.088 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.101 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 13.63 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 13.8225 हैक्टेयर स्थित है। जिसके भू–अभिलिखित खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण है, तथा बिना किसी रोक टोक व बाधा के प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण अपने कब्जे काश्तशुदा आराजीयात् पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। मुतदाविया आराजीयात के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 169 रकबा 0.417 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 208 रकबा 1.897 हैक्टेयर जो कि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 व उनके साथ अन्य सहखातेदारान की शामलाती कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण अपनी कब्जेकाश्त आराजी में दीगर व्यक्तियों से मिलकर भू खण्ड स्थापित करना चाहते है तथा आये दिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की दक्षिण पश्चिम सीमा पर नाजायज रूप से झगडा टण्टा कर अवैध कब्जा करने की नाकाम कोशिश करते रहते है। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार हासिल नही हैं। इसलिए अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्तशुदा कृषि आराजीयात में मजाहमत मदाखलत कारित नहीं करने बाबत् जरिये ईकमतनाई दवामी से पाबन्द, किया जाना कानूनन अतिआवश्यकीय है।

जिसका जवाब अप्रार्थी सं0 1 से 3 द्वारा पेश कर उल्लेख किया गया कि उक्त मद में प्रार्थीगण द्वारा दक्षिणी पश्चिमी सीमा के विवाद का जो तथ्य अंकित किया गया है वह भी असत्य है क्योंकि खसरा नम्बर 174, 175 की पश्चिमी सीमा से होते हुए एक 50 फीट चौड़ा रास्ता उक्त खसरा नम्बर 175 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर खसरा नम्बर 207 की पश्चिमी सीमा एवं उत्तरदातागण की भूमि खसरा नम्बर 208 की पूर्वी सीमा तक कायम कर रखी है किंतु फिर भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में सीमा विवाद होना अंकित करते हुए यह वाद एवं आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो विशेष हर्जे एवं खर्चे सहित निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने दिनांक 23.07.2022 को खसरा नम्बर 169 एवं 174, 175 एवं 208 की सीमा [illegible] रास्ते को बंद करने का प्रयास किया तथा उत्तरदा[illegible] सं0 1 एवं 2 के साथ हाथापाई एवं गाली [illegible] किया था जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट [illegible]दातागण द्वारा पुलिस थाना में दर्ज करवाई जा चुकी है। [illegible]दि किसी प्रकार की निषेधाज्ञा उत्तरदाता के विरूद्ध जा कर दी जाती है तो फिर प्रार्थीगण उक्त निषेधाज्ञा की आड में विवादित भूमि खसरा नम्बर 173, 174 व 175 में कायम रास्ते को बंद करने तथा उत्तरदातागण एवं अन्य लोगों को डरा धमकाकर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.10.14 12:49:11 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ...अपील... बनाम ...मेमीयान...

मुकदमा संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा–........60/2022

रास्ते को उपयोग–उपभोग लेने के बदले में उनकी भूमि हड़पने एवं माफी मंदिर श्री सिरे बिहारी जी की खातेदारी में अंकित भूमि को दौराने रेफरेंस खुर्द–बुर्द करने में सफल हो जायेंगे जिससे अपूर्तनीय क्षति भी मिन उत्तरदातागण को एवं माफी मंदिर श्री सिरे बिहारी जी को ही होगी।

दिनांक 08.09.2022 को उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस में मुख्य तौर पर उक्त लिखित तथ्य पुनः दोहराए गए। जहां प्रार्थी (वादी) का यह कथन रहा कि विवादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की भूमि है व यह तथ्य प्रार्थी द्वारा पेश जमाबन्दी में भी अंकित है। प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज है व उस पर तारबन्दी कर फसल बो रखी है, जिस को प्राथी नष्ट कर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों का खंडन कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मौके पर निर्माण किया जा चुका है व प्रार्थी–अप्रार्थी के मध्य पूर्व में इकरारनामा हुआ था जिसके तहत प्रार्थी ने अप्रार्थी को अपनी भूमि में से आवागमन का रास्ता दिया था। अप्रार्थी द्वारा मौके के कुछ छाया चित्र भी पेश किए गए।

उभयपक्षों की बहस से निम्नलिखित तथ्य सामने आए। प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 175 के दक्षिण पश्चिम में अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 169 व 208 है, अप्रार्थी ने प्रार्थी के खसरा नम्बर 175 में रास्ता होने बाबत् निवेदन किया व उस बाबत् इकरारनामा होने का भी कथन किया परन्तु अप्रार्थी द्वारा पेश छायाप्रति(फोटोग्राफस) में कहीं भी रास्ता होना प्रतीत नहीं होता व न ही कोई ऐसा इकरारनामा भी पेश नहीं किया गया।

न्यायालय यहां यह भी स्पष्ट करना उचित मानता है कि विवादग्रस्त भूमि माफी मंदिर रेफरेंस अधीन होने के कारण व उस पर मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति का आदेश पूर्व में भी होने के कारण किसी भी प्रकार का इकरारनामा मान्य नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दुवार निर्णय निम्न प्रकार है:

1. **प्रथम दृष्टया:–** विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है, अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर रास्ता होने बाबत् निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी द्वारा पेश छायाचित्रों से व नक्शे से रास्ता होना प्रतीत नहीं होता। विवादग्रस्त भूमि पर माफी मंदिर के रेफरेंस विचाराधीन रहते पूर्व में भी मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति के नोट अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर किसी भी [illegible] छेड़छाड़ करना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम [illegible] यह मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।
2. **सुविधा का संतुलन:–** प्रार्थी [illegible] भूमि पर काबिज है व अप्रार्थी का प्रार्थी की [illegible]दारी की भूमि से कोई सरोकार नहीं है। विवादित खसरा नम्बर पर मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति का भी नोट अंकित है, ऐसे में यह आवश्यक है कि विवादित भूमि की सीमा से कोई छेड़छाड न की जाए व प्रार्थी–अप्रार्थी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.10.14 12:49:11 IST
Reason: SelfAttested

## फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ........अमरीश.... बनाम ....नेमीचन्द......

मुकदमा संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा--.....60.../2022

काबिज रहे। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

3. अपूर्णिय क्षतिः– यदि अप्रार्थी को प्रार्थी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दख्ल अंदाजी करने से पाबंद न किया है व प्रार्थी की तारबन्दी से व फसल से छेड़छाड हुई तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति तीनों ही प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है। अतः यह न्यायालय अप्रार्थी सं0 1 से 3 को इस आशय से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करता है कि वह ग्राम सरना डूंगर, पटवार हल्का सरना डूंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र मांचवा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर में स्थित आराजी नया खाता संख्या 30 तथा पुराना खाता संख्या 28 की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 (वर्ष 2019 से स्थायी) में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 173 रकबा 0.088 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.101 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 13.63 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 13.8225 हैक्टेयर में बिना विधिक प्रकिया अपनाये कोई रास्ते का निर्माण न करें, बिना सीमाज्ञान प्रार्थी की फैसिंग/फसल इत्यादि नष्ट न करें तथा प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग व कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करें व न हीं अपने परिजनों से करवायें।

पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 15/09/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.10.14 12:49:11 IST
Reason: SelfAttested